रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102025-266719
CG-DL-E-07102025-266719

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4380] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 3, 2025/आश्विन 11, 1947
No. 4380] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 3, 2025/ASVINA 11, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4506(अ).— जबकि, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव करती है और तदनुसार, इसे पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित, इससे प्रभावित होने वाली जनता को जानकारी के लिए एततद्वारा प्रकाशित किया जाता है; तथा इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना को उस तिथि से साठ (60) दिनों की अवधि की समाप्ति पर अथवा उसके पश्चात विचार में लिया जाएगा, जिस तारीख से इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ आम जनता के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।

कोई भी व्यक्ति जो उक्त प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्ताव के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हो, वह उसे लिखित रूप में केंद्रीय सरकार के विचारार्थ निर्दिष्ट अवधि के भीतर, सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली - 110003 को प्रेषित कर सकता है, अथवा इसे मंत्रालय के ई-मेल पते: diriapolicy-moefcc@gov.in. पर भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

का. आ. ---------(अ).___जबकि, केंद्र सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय (भूतपूर्व) के अंतर्गत, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 14 सितंबर, 2006 के का. आ. 1533 (अ), के माध्यम से वर्णित कतिपय परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय

स्वीकृति (ईसी) अनिवार्य करने के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 (जिसे यहाँ "उक्त अधिसूचना" कहा गया है) जारी किया गया था;

और जबकि, सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्र (सीईटीपी) ईआईए अधिसूचना 2006 की मद 7(ज) के अंतर्गत आते हैं और इनके लिए पूर्व पर्यावरणीय मंज़ूरी (ईसी) आवश्यक है। केंद्र सरकार को सीईटीपी को पूर्व पर्यावरणीय मंज़ूरी की आवश्यकता से छूट देने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

और जबकि, हाल के वर्षों में विभिन्न औद्योगिक समूहों में, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स, पेंट्स, रासायनिक उर्वरक, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वस्त्र और संबद्ध उद्योगों जैसे क्षेत्रों में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। इन क्षेत्रों, जो पहले सामान्य अपशिष्ट शोधन संयंत्रों (सीईटीपी) पर अत्यधिक निर्भर थे, ने बढ़ती हुई कठोर पर्यावरणीय आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को उत्तरोत्तर उन्नत किया है। इस तरह के तकनीकी सुधारों ने उद्योगों को अपने अपशिष्टों का प्रबंधन कहीं अधिक सटीकता, परिचालन दक्षता और जवाबदेही के साथ करने में सक्षम बनाया है। अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में इस अमूलचूल प्ररवर्तन और आधुनिक तकनीक के आगमन ने औद्योगिक अपशिष्ट के बेहतर निपटान के रास्ते खोल दिए हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर बेहतर स्व-अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीईटीपी एक समाधान के रूप में उभरे हैं। इसके अलावा, सीईटीपी एक ओर औद्योगिक अपशिष्टों के निपटान के लिए एक लागत प्रभावी सुविधा के रूप में कार्य करते हैं और दूसरी ओर, प्रदूषण नियंत्रण में बेहतर नियंत्रण और संतुलन स्थापित करते हुए आत्म-अनुशासन की भावना का संचार करते हुए हैं। इस प्रकार, सामूहिक उत्तरदायित्व को लागू करके और कई स्थानों पर फैली हुई निगरानी के विपरीत केंन्द्रीकृत निगरानी सुनिश्चित करके बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीईटीपी की स्थापना को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

और जबकि, कई क्षेत्रों में शून्य द्रव उत्सर्जन (जेडएलडी) प्रणालियों को अपनाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति देखी गई है। इसके अलावा, ज़ेडएलडी प्रणालियाँ यह सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी अशोधित या आंशिक रूप से शोधित अपशिष्ट जल पर्यावरण में न छोड़ा जाए। इसके बजाय, संपूर्ण अपशिष्ट जल धारा का व्यापक शोधन किया जाता है, और शोधित जल का पुनर्चक्रण करके औद्योगिक कार्यों में पुनः उपयोग किया जाता है। इस पद्धति से न केवल मूल्यवान मीठे जल संसाधनों का संरक्षण होता है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण के जोखिम को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है।

और जबकि, ये प्रगति पहले से ही एक मज़बूत नियामक निरीक्षण ढाँचे द्वारा पूरित हैं। औद्योगिक इकाइयाँ और उनकी उपचार सुविधाएँ जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों द्वारा लागू की जाती हैं। इन क़ानूनों के तहत नियामक व्यवस्था सख्त और व्यापक दोनों है, जिसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा नियमित निगरानी, आवधिक निरीक्षण और अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ शामिल हैं। ये तंत्र यह सुनिश्चित करते हैं कि उद्योगों को उनके उत्सर्जन और शोधन के लिए लगातार जवाबदेह ठहराया जाए, जिससे निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों का उच्च स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

और जबकि, इस मामले की जांच क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा की गई थी, जिसने सिफारिश की थी कि प्राप्त तकनीकी प्रगति, मौजूद सुदृढ़ अनुपालन तंत्र और स्थायी जल प्रबंधन प्रक्रियाओं की ओर स्पष्ट बदलाव के मद्देनजर, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) को ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता से छूट देने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि निर्माण और संचालन के दौरान कुछ पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए और एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत स्थापना/संचालन की सहमति के माध्यम से प्रवर्तित किया जाए।

और जबकि, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को जांच के लिए विशेषज्ञ सलाहकार समिति को भेजा गया था। उचित विचार-विमर्श के बाद विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने संबंधित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिश से सहमति व्यक्त की और यह भी नोट किया कि केंद्र सरकार ने दिनांक 19.12.2018 की अधिसूचना के तहत पहले ही ईआईए अधिसूचना 2006 में संशोधन कर दिया था ताकि उन परियोजनाओं या गतिविधियों के लिए या उनके भीतर स्थापित सीईटीपी के लिए ईसी से छूट दी जा सके, जिनके लिए पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, और वर्तमान में केवल उन गतिविधियों के लिए सीईटीपी के लिए ईसी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो पहले से ही ईसी प्रक्रिया द्वारा शासित हैं। समुचित विचार-विमर्श के बाद विशेषज्ञ सलाहकार समिति इस विचार पर पहुंची कि क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिश के अनुसार पर्यावरण सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन के अधीन सभी सीईटीपी को छूट दी जा सकती है।

और जबकि, विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति और विशेषज्ञ सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार का विचार है कि सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) को ईआईए अधिसूचना, 2006 के तहत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता से छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा सहमति तंत्र के माध्यम से पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन किया जाए।

अब, अतः पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ.1533(ई), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, "पर्यावरणीय सेवाओं सहित भौतिक अवसंरचना" शीर्षक के अंतर्गत, मद 7(ज) और उससे संबंधित प्रविष्टियों को हटा दिया जाएगा।

[फा. सं. आईए3-22/17/2025-आईए.III]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्या एस.ओ. 1533(ई), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1223(ई), दिनांक 17 मार्च, 2025 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2025

S.O. 4506(E).—WHEREAS, the Central Government proposes to issue following draft notification in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and accordingly, the same is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposal contained in the draft notification may forward the same in writing for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it at the e-mail address: diriapolicy-moefcc@gov.in.

Draft Notification

S.O. _____(E).— WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 for mandating prior environmental clearance (EC) for certain category of projects;

AND WHEREAS, Common Effluent Treatment Plants (CETPs) are covered under item 7(h) of the EIA Notification 2006 and require prior Environmental Clearance (EC). The Central Government has received representations for exemption of CETPs from the requirement of prior EC.

AND WHEREAS, in recent years a substantial transformation has taken place across various industrial clusters, particularly in sectors such as pharmaceuticals, paints, chemical fertilizers, electroplating, textiles and allied industries. These sectors, which were earlier heavily dependent on Common Effluent Treatment Plants (CETPs), have progressively upgraded their infrastructure in order to comply with increasingly stringent environmental requirements. Such technological improvements have enabled industries to manage their effluents with far greater precision, operational efficiency, and accountability. This paradigm shift in effluent management practices and advent of modern

technology has opened avenues for better treatment of industrial wastes. CETPs have emerged as a solution to ensuring better self compliance on the principles of collective responsibility. Moreover, the CETPs also serve as a cost-effective facility for treatment of industrial waste on one hand and infuse a sense of self discipline on the other, offering better checks and balances in pollution abatement. Thus, establishment of CETPs need to be encouraged for ensuring better compliance by enforcing collective accountability and ensuring effective monitoring at one place instead of diffused monitoring at multiple locations.

AND WHEREAS, a growing trend towards the adoption of Zero Liquid Discharge (ZLD) systems has been observed across several sectors. Further, ZLD systems ensure that no untreated or partially treated wastewater is released into the environment. Instead, the entire effluent stream undergoes comprehensive treatment, and the treated water is recycled and reused within industrial operations. This practice not only conserves valuable freshwater resources but also substantially minimizes the risk of environmental pollution.

AND WHEREAS, these advancements are complemented by an already robust regulatory oversight framework. Industrial units and their treatment facilities are governed by the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. The regulatory regime under these statutes is both stringent and comprehensive, with regular monitoring, periodic inspections, and mandatory reporting requirements imposed by the State Pollution Control Boards (SPCBs) and the Central Pollution Control Board (CPCB). These mechanisms ensure that industries are consistently held accountable for their emissions and discharges, thereby maintaining high levels of compliance with prescribed environmental norms.

AND WHEREAS, the matter was examined by the sectoral Expert Appraisal Committee which has recommended that, in light of the technological advancements achieved, the robust compliance mechanisms in place, and the demonstrable shift towards sustainable water management practices, Common Effluent Treatment Plants (CETPs) may be considered for exemption from the requirement of prior Environmental Clearance under the EIA Notification, 2006, subject to certain environmental safeguards to be followed during construction and operation and to be enforced by SPCB/PCC through Consent to Establish/Consent to Operate under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

AND WHEREAS, the recommendations of Expert Appraisal Committee were referred to the Expert Advisory Committee for examination. After due deliberation the Expert Advisory Committee agreed with the recommendation of the concerned Expert Appraisal Committee and also noted that the Central Government vide Notification dated 19.12.2018 had already amended the EIA Notification 2006 to exempt EC for CETPs setup for or within projects or activities which do not require environmental clearance, and currently the CETPs for activities which are already governed by the EC process only require EC. After due deliberation the Expert Advisory Committee was of the considered view that all CETPs may be exempted subject to environmental safeguards to be implemented as recommended by the sectoral Expert Appraisal Committee.

AND WHEREAS, based on the recommendations of the Expert Appraisal Committee and the Expert Advisory Committee, the Central Government is of the view that Common Effluent Treatment Plants (CETPs) may be exempted from the requirement of prior Environmental Clearance under the EIA Notification, 2006, subject to implementation of environmental safeguards to be enforced by SPCB/PCC through the Consent mechanism.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, namely: -

In the said notification,-

In the Schedule to the said notification, under heading, “Physical Infrastructure including Environmental Services”, Item 7(h) and the entries relating thereto shall be omitted.

[F. No. IA3-22/17/2025-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and last amended vide the notification number S.O. 1223(E), dated the 17th March, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.07 14:16:29 +05'30'